राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली
नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर – 29, फ़रीदाबाद, हरियाणा – 121008.
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES AND NARCOTICS
ZONAL TRAINING INSTITUTE, DELHI
NACIN COMPLEX, SECTOR – 29, FARIDABAD, HARYANA – 121008.

परीक्षा सूचना

केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो के जिला अफीम अधिकारी/अधीक्षक की पुष्टि के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 18 अगस्त, 2025 से 22 अगस्त, 2025 (सोमवार से शुक्रवार) तक आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा ।

****

1. जी.एस.आर. 773 (ई) दिनांकित 18.12.2024 द्वारा अधिसूचित विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं नार्कोटिक्स) नियमावली, 2024 (डीईआर-2024) के अनुसार; वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय परीक्षाओं के वार्षिक कैलेंडर के तहत, केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो के जिला अफीम अधिकारी/अधीक्षक की पुष्टि के लिए पूर्व-निर्धारित दिनांक 09-13 जून, 2025 के मध्य आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा को दिनांक 18-22 अगस्त, 2025 (सोमवार से शुक्रवार) के लिए पुनः निर्धारित की गई है ।

2. जी.एस.आर. 773 (ई) दिनांकित 18.12.2024 द्वारा अधिसूचित विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं नार्कोटिक्स) नियमावली, 2024 (डीईआर-2024) के अनुसार, परीक्षा में निम्नलिखित छह प्रश्न-पत्र निहित होंगे :

क्र. सं.	पेपर	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक	परीक्षा की तिथि व समय	अनुमत पुस्तकें
1	I	नार्कोटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून	100	50	18.08.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	हां (मद/विषय 8-11) पाठ्यक्रम के अनुसार
2	II	नार्कोटिक्स नियंत्रण नीति एवं प्रक्रियाएं	100	50	19.08.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	हां (मद/विषय 3-4)

3	III	प्रशासन	100	50	20.08.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	हां (आचरण नियमों के अलावा)
4	IV	विधि	100	50	21.08.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	हां
5	V	हिंदी	100	50	22.08.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	नहीं
6	VI	मौखिक परीक्षा	-	-	22.08.2025 (अपराह्न 02:00 बजे से, निर्धारित समयनुसार)	नहीं
पेपर-VI (मौखिक परीक्षा) - इसकी रूपरेखा केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर द्वारा तैयार की जाएगी।						

3. पेपर-I, II, III व IV द्विभाषी (अंग्रेजी व हिंदी) रूप में उपलब्ध होंगी एवं परीक्षार्थी अंग्रेजी अथवा हिंदी में से किसी एक में उत्तर दे सकते हैं। हालांकि, पेपर-V हिंदी में होगी तथा उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य होगा। सभी केंद्रों पर परीक्षा पूर्वाह्न 10:00 बजे प्रारंभ होगी। **संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) को समय-समय पर संशोधित नवीनतम भर्ती नियमों के आधार पर परीक्षार्थियों की पात्रता निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। पात्रता से संबंधित किसी भी संदर्भ पर नासिन, ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**

4. संवर्ग द्वारा एक अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष रैंक के अधिकारी) को नामित किया जाना अपेक्षित है, जोकि उक्त परीक्षा के संचालन हेतु समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे। **अनुलग्नक-क** (इस सूचना के साथ संलग्न) के अनुसार, प्रश्न पत्रों की मांग सहित अधिकृत अधिकारी का विवरण सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद की ईमेल आईडी **exam-nacinztidelhi@gov.in** पर प्रेषित करने की कृपा करें।

5. सक्षम प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन से प्रश्न पत्रों की मांग एवं नामित अधिकृत अधिकारी का विवरण, सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद को केवल ई-मेल के माध्यम से **दिनांक 08.08.2025 तक अवश्य प्रेषित करें।** कृपया यह भी ध्यान दें कि **दिनांक 08.08.2025 के उपरांत प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

6. उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्रों को पासवर्ड-संरक्षित पीडीएफ प्रारूप में **दिनांक 14.08.2025 (शुक्रवार)** को केवल ईमेल के माध्यम से नामित अधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जाएगी, जो उक्त पावती की सूचना नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद को वापसी ई-मेल के माध्यम से प्रदान करेंगे।

7. **पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड** प्रत्येक परीक्षा प्रारंभ होने से **एक घंटे पहले प्रदान किया जाएगा।** अधिकृत अधिकारी उक्त परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न-पत्रों के लिए अनुरोध ई-मेल आईडी: exam-nacinztidelhi@gov.in पर भेजी जा सकती है।

8. आवश्यकता की सूचना देते समय, पद का नाम एवं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। संबंधित संवर्ग नियंत्रण कार्यालय द्वारा नामांकन के समय ही अपने स्तर पर अनुक्रमांक आवंटित किया जा सकता है। अनुक्रमांक आवंटित करने का खाका निम्नवत है:

क्र. सं.	जीएसटी/सीमा शुल्क/निदेशालय	जीएसटी/सीमा शुल्क/निदेशालय का नाम	अनुक्रमांक
1.	सीबीएन	सीबीएन	डीओओ/सीबीएन/ग्वालियर/01

9. **<u>केवल संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) के माध्यम से ऐसे अनुरोध नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद को अग्रेषित किए जाने चाहिए।</u>** परीक्षा समाप्ती के उपरांत परीक्षा में प्राप्तांक केवल सीसीए को ही सूचित किए जाएंगे। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीसीए का सटीक विवरण " **अनुलग्नक-क** " में दर्ज किया गया है।

10. केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर से अनुरोध है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के सभी फॉर्मेशनों/कार्यालयों में इस अधिसूचना को परिचालित करें। इस संबंध में; नासिन, जेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद द्वारा किसी भी फॉर्मेशन को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।

11. प्रतिनियुक्ति/ऋण आधार पर कार्यरत परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र एवं इच्छुक हैं, उन्हें उनके केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो द्वारा नामित किया जाएगा। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अन्य निदेशालयों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पात्र अधिकारियों को सूचित करें एवं नामांकन अग्रेषित करते समय उनकी आवश्यकताओं को भी दर्ज करें।

12. पेपर-I, पेपर-II, पेपर-III, पेपर-IV, पेपर-V एवं पेपर-VI का पाठ्यक्रम **अनुलग्नक "ख"** के रूप में संलग्न है।

13. यह परीक्षा सूचना सीबीआईसी, नासिन पालसमुद्रम एवं नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली (फ़रीदाबाद परिसर) की वेबसाइटों क्रमशः https://www.cbic.gov.in , https://www.nacin.gov.in, एवं https://www.nacin.gov.in/ZCDelhi/ZTIDelhi.html. पर भी उपलब्ध किए जा रहे हैं।

14. नासिन, पालसमुद्रम के निर्देश पर नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद को संपूर्ण परीक्षा या किसी परीक्षार्थी या केंद्र या एक से ज़्यादा केंद्रों की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था या प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी अथवा किसी परीक्षार्थी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात या अन्याय हुआ है। नासिन, पालसमुद्रम के अनुमोदन से संबंधित परीक्षा केंद्र के अधिकृत अधिकारी या अन्वीक्षक को भी अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले में किसी परीक्षार्थी की परीक्षा अथवा उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार है।

15. परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाए कि उनके द्वारा मुद्रित रूप में अथवा उत्तर पत्रक के सामने वाले पृष्ठ पर रबर की मुहर लगाकर स्वयं के नाम/पहचान को प्रकट करने का कोई भी प्रयास या किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान अंदर या बाहर किसी से वार्तालाप करने जैसे अनुचित साधनों का उपयोग अथवा परीक्षार्थियों का कोई भी ऐसा व्यवहार जिसे अन्वीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा नकल का स्वरूप माना जा सकता है, उनकी परीक्षा को व्यर्थ व अमान्य घोषित करेगा।

16. "परीक्षा हेतु निर्देश" संलग्न हैं, जो इस परीक्षा सूचना का अभिन्न अंग है।

17. यह अपर महानिदेशक, नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

01/08/2025

(डॉ. बिजेन्द्र कुमार मीना)
अपर निदेशक
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन)
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली (फ़रीदाबाद परिसर)

प्रतिलिपि:

1. नार्कोटिक्स आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो, 19, द मॉल, मुरार, ग्वालियर - 474006 (मध्य प्रदेश);
2. वेबमास्टर को नासिन एवं सीबीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध।

फा.सं.: नासिन/II/12/13/2020-परीक्षा-प्रधान महानिदेशक का कार्यालय, फ़रीदाबाद

परीक्षा हेतु निर्देश

केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो के जिला अफीम अधिकारी/अधीक्षक की पुष्टि के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 18 अगस्त, 2025 से 22 अगस्त, 2025 (सोमवार से शुक्रवार) तक आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा ।

1. निम्नवत् तालिकानुसार परीक्षा में छह (6) पेपर होंगे: -

क्र. सं.	पेपर	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक	परीक्षा की तिथि व समय
1	I	नार्कोटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून	100	50	18.08.2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (अनुमत समय: 3 घंटे)
2	II	नार्कोटिक्स नियंत्रण नीति एवं प्रक्रियाएं	100	50	19.08.2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (अनुमत समय: 3 घंटे)
3	III	प्रशासन	100	50	20.08.2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (अनुमत समय: 3 घंटे)
4	IV	विधि	100	50	21.08.2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (अनुमत समय: 3 घंटे)
5	V	हिंदी	100	50	22.08.2025, पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (अनुमत समय: 3 घंटे)
6	VI	मौखिक परीक्षा	-	-	22.08.2025, अपराह्न 02:00 बजे से (निर्धारित समयनुसार)

2. संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, जहां परीक्षा आयोजित होनी है, द्वारा एक अधिकारी को नामित किया जाएगा, जो उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे एवं वह उक्त परीक्षा को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने तथा गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। उल्लिखित परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक को नामित किए जाने की भी आवश्यकता है एवं गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न-पत्रों की अपेक्षित संख्या की फोटोकॉपी व्यक्तिगत रूप से उनकी निगरानी में की जाएंगी।

3. परीक्षा कार्य में पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक को उम्मीदवारों को अनुक्रमांक आवंटित करने, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बैठने की व्यवस्था करने, उत्तर पुस्तिकाओं जैसी मानक स्टेशनरी की आपूर्ति करने तथा प्रश्न-पत्रों की फोटोकॉपी करने की आवश्यकता होती है, जिसे सख्त गोपनीयता में अधिकृत अधिकारी की निगरानी में किया जाना आवश्यक है। संबंधित परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक अधिकारियों/निरीक्षकों को भी अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले में किसी परीक्षार्थी की परीक्षा अथवा उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार है। पर्यवेक्षक अधिकारी/अन्वीक्षक को परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिकाएं व उपस्थिति पत्रक को आवंटित अनुक्रमांक के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए एक सीलबंद लिफाफे में अविलंब भेजना आवश्यक है।

4. **प्रत्येक उत्तर पत्रक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित विवरण अनुलग्नक-ग (इस सूचना के साथ संलग्न) के अनुसार, मुद्रित रूप में अथवा रबर की मुहर लगाकर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना चाहिए:**

1. परीक्षा का नाम
2. अनुक्रमांक
3. केंद्र का नाम
4. परीक्षा की तिथि एवं समय
5. पेपर का नाम और विषय
6. प्रयुक्त ढीली उत्तर पत्रकों की संख्या (पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक प्रत्येक ढीली पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे एवं पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेंगे)
7. पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक के हस्ताक्षर (परीक्षार्थियों द्वारा सटीक ढंग से भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन के पश्चात)
8. प्राप्तांक एवं
9. पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक के हस्ताक्षर ।

5. परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाए कि उनके द्वारा मुद्रित रूप में अथवा उत्तर पत्रक के सामने वाले पृष्ठ पर रबर की मुहर लगाकर स्वयं के नाम/पहचान को प्रकट करने का कोई भी प्रयास या किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान अंदर या बाहर किसी से वार्तालाप करने जैसे अनुचित साधनों का उपयोग अथवा परीक्षार्थियों का कोई भी ऐसा व्यवहार जिसे अन्वीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा नकल का स्वरूप माना जा सकता है, उनकी परीक्षा को व्यर्थ व अमान्य घोषित करेगा।

यदि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में स्वयं का नाम, कोई चिन्ह/प्रतीक/हस्ताक्षर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी तरह से परीक्षार्थी की पहचान का संकेत देती है, ऐसी स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6. पर्यवेक्षकों और अन्वीक्षकों द्वारा परीक्षा के संचालन में गोपनीयता, निष्पक्षता व अनुशासन बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि किसी भी अनुचित साधन का उपयोग न किया जाए, जो कुछ को अतिरिक्त लाभ दे सकता है एवं इसके परिमाणस्वरूप, दूसरों के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया को इस प्रकार से डिजाइन व संचालित किया जाएगा कि सभी के साथ न्याय किया जा सके। यदि किसी अनुचित साधन के प्रयोग का मामला संज्ञान में लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद को नासिन, पालसमुद्रम के निर्देशानुसार संपूर्ण परीक्षा या किसी परीक्षार्थी या केंद्र या एक

से ज़्यादा केंद्रों की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार है। आवश्यकतानुसार, नासिन द्वारा संबंधित पर्यवेक्षकों/अन्वीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी दी जा सकती है।

7. **पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक परीक्षार्थियों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन के पश्चात उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे (जैसा अनुलग्नक-ग में वर्णित किया गया है) । पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक परीक्षार्थी द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक ढीली पत्रक को पृष्ठ संख्या प्रदान करने के साथ उस पर भी हस्ताक्षर करेंगे।**

8. परीक्षा की प्रक्रिया/आयोजन के संबंध में कोई भी पत्राचार **श्री बिजय कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोबाइल - 9711461121) अथवा श्री कन्हैया प्रसाद, अपर सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोबाइल - 7827721377)**, नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, सैक्टर-29, फ़रीदाबाद-121008 अथवा ईमेल आईडी: exam-nacinztidelhi@gov.in पर किया जा सकता है।

9. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल में अथवा उसके आसपास मोबाइल फोन या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करना अथवा ले जाना सख्त वर्जित है।

10. परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में पेपर पूरा करने/जमा करने के बाद भी पहले तीस मिनटों में हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है एवं परीक्षा के प्रथम तीस मिनट पूरे होने के पश्चात उपयुक्त कारण के अनुरोध पर केवल एक ही व्यक्ति को परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

11. पेपर-I, II, III व IV द्विभाषी (अंग्रेजी व हिंदी) रूप में उपलब्ध होंगी एवं परीक्षार्थी अंग्रेजी अथवा हिंदी में से किसी एक में उत्तर दे सकते हैं। हालांकि, पेपर-V हिंदी में होगी तथा उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य होगा। सभी केंद्रों पर परीक्षा पूर्वाह्न 10:00 बजे प्रारंभ होगी।

12. **सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं यथोचित टैग/बंच करके परीक्षा समाप्ती पर अविलंब नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद को भेजी जाएँ। तत्पश्चात उक्त का मूल्यांकन नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद द्वारा किया जाएगा।**

13. उत्तर पुस्तिकाएं व उपस्थिति पत्रक आवंटित अनुक्रमांक के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित करके सीलबंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

14. नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद द्वारा परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को केवलमात्र संबंधित सीसीए को अनुलग्नक-क में दिए गए ईमेल पर ही सूचित किया जाएगा। भर्ती नियमों और मंत्रालय/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों (यदि कोई हो) के अनुरूप परिणाम, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छूट प्रदान की जाती है, जैसा भी लागू हो, सीसीए या सीसीए द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा घोषित किया जाएगा तथा रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

15. यह अपर महानिदेशक, नासिन ज़ेडटीआई दिल्ली, फ़रीदाबाद के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Sd/-
(डॉ. बिजेन्द्र कुमार मीना)

अपर निदेशक
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन)
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली (फ़रीदाबाद परिसर)

.सं.: नासिन/II/12/13/2020-परीक्षा-प्रधान महानिदेशक का कार्यालय, फ़रीदाबाद

अनुलग्नक 'क' (नामांकन के लिए प्रपत्र)

1. आयुक्तालय/निदेशालय का नामः ____________________

2. संवर्ग नियंत्रण क्षेत्र का नामः ____________________

3. परीक्षा केंद्र का नामः

____

4. फॉरमेशन की आधिकारिक मेल आईडीः

____

(विभागीय परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के पत्राचार वर्णित मेल आईडी के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे)

5. नामित अधिकृत अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष रैंक के अधिकारी) का नाम व कार्यालय का पता, जो परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे एवं जिन्हें प्रश्न-पत्रों को पीडीएफ प्रारूप में ई-मेल द्वारा प्रेषित किए जाने हैं।

____

____

दूरभाषः __________ फ़ैक्स सं.: __________ Gov.in की ईमेल आईडीः

____

__________ व्हाट्सऐप मोबाइल सं: __________

6. केंद्र पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का विवरणः-

केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो के जिला अफीम अधिकारी/अधीक्षक की पुष्टि के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान विभागीय परीक्षा									
क्र. सं.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	आवंटित अनुक्रमांक	पेपर-I नार्कोटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून (हां/नहीं)	पेपर-II नार्कोटिक्स नियंत्रण नीति एवं प्रक्रियाएं (हां/नहीं)	पेपर-III प्रशासन (हां/नहीं)	पेपर-IV विधि (हां/नहीं)	पेपर-V हिंदी (हां/नहीं)	पेपर-VI मौखिक परीक्षा (हां/नहीं)
1									
2									

अनुलग्नक 'ख'

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जिला अफीम अधिकारी/अधीक्षक की पुष्टि हेतु परीक्षा	
पेपर-I नार्कोटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून (मद संख्या 8 से 11 तक के लिए पुस्तकों की अनुमति होगी) (अनुमत समय: 3 घंटे) (अधिकतम अंक: 100)	1. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 2. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 (1985 का 61) 3. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988 (1988 का 46) 4. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 5. मन: प्रभावी पदार्थों पर वियना कन्वेंशन, 1971 6. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 7. स्वापक औषधि पर एकल कन्वेंशन, 1961 (न्यूयॉर्क कन्वेंशन) 8. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 9. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (मध्य प्रदेश) नियम, 1985 10. राजस्थान स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 11. उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियम, 1986
पेपर-II नार्कोटिक्स नियंत्रण नीति एवं प्रक्रियाएं (मद संख्या 3 व 4 के लिए पुस्तकों की अनुमति होगी) (अनुमत समय: 3 घंटे) (अधिकतम अंक: 100)	1. अफीम पोस्त की खेती एवं मादक पदार्थों से संबंधित भारत सरकार, बोर्ड तथा नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा जारी सामान्य आदेश, स्थायी आदेश, परिपत्र व निदेश। 2. अफीम कृषकों को अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस) देने के सिद्धांत। 3. निवारक और आसूचना नियमावली, अभिलेख नियम एवं गुप्त सेवा निधि प्रक्रिया। 4. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का LXIII) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लिए कारखाना नियम।
पेपर-III प्रशासन (पुस्तक के साथ, आचरण नियमों के अलावा)	1. सिविल सेवा विनियम, जहाँ तक वे केवल पेंशन से संबंधित हैं। 2. मूल नियम और अनुपूरक नियम।

(अनुमत समय: 3 घंटे) (अधिकतम अंक: 100)	3. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 4. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 5. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1972 6. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 7. केंद्रीय कोषागार नियम (खंड I, भाग-I, खंड II, भाग V, अध्याय II से V, IX और भाग X) कोषागार नियम खंड 2 (परिशिष्ट-4)। नोट: प्रश्न अभ्यर्थी की पुस्तकों की समझदारी से संदर्भ ग्रहण करने तथा नियमों व विनियमों को व्यावहारिक मामलों में लागू करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाएंगे। इस उद्देश्य से, पेपर में कार्य के व्यावहारिक पहलू पर प्रश्न होंगे, उदाहरण के लिए, वेतन या यात्रा भत्ता बिल तैयार करना, समाश्रित बिल, देय अवकाश की गणना, कार्यभार ग्रहण समय आदि।
पेपर-IV विधि (पुस्तकों के साथ) (अनुमत समय: 3 घंटे) (अधिकतम अंक: 100)	भारत का संविधान । भारतीय न्याय संहिता, 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
पेपर-V हिंदी (अनुमत समय: 3 घंटे)	अंग्रेज़ी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेज़ी में गद्यांश का अनुवाद। वाक्यों में सुधार तथा अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्दों के पर्याय देना। हिंदी गद्यांश से उत्तर। संभाषण। हिंदी पांडुलिपियों में लिखी याचिकाओं व दस्तावेजों की समझ (कॉम्प्रिहेन्शन)। राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) राजभाषा नियम, 1976
पेपर-VI (मौखिक परीक्षा)	नार्कोटिक्स विभाग के सामान्य कामकाज पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मौखिक परीक्षा एक परीक्षक बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष आयुक्त होंगे एवं सहायक

	आयुक्त के पद से नीचे के स्तर के दो अधिकारी सदस्य होंगे।

<u>अनुलग्नक 'ग'</u>

(प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रपत्र)

परीक्षा केंद्र का पूरा पता		
1.	परीक्षा का नाम	
2.	परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	
3.	परीक्षा केंद्र का नाम	
4.	परीक्षा की तिथि एवं समय	
5.	पेपर का नाम एवं विषय	
6.	प्रयुक्त ढीली उत्तर पत्रकों की संख्या (पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक प्रत्येक ढीली पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे एवं पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेंगे)	
7.	पर्यवेक्षक/अन्वीक्षक के हस्ताक्षर	

	(परीक्षार्थियों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन के पश्चात)	
8.	प्राप्तांक/अधिकतम अंक	
9.	परीक्षक के हस्ताक्षर	

नोट: यदि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में स्वयं का नाम, कोई चिन्ह/प्रतीक, हस्ताक्षर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी तरह से परीक्षार्थियों की पहचान का संकेत देती है, ऐसी स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।